इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 626] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 16, शक 1932

खेल और युवा कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर, 2010

संकल्प

क्र. एफ 1-26-2010-नौ.—अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये खिलाड़ियों का चयन करने की दृष्टि से सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प क्रमांक 345 जे. सी. सी.-एक-75 दिनांक 3 जून 1975 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज खेल मण्डल का गठन किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-7-2010-एक (1), दिनांक 9 सितम्बर, 2010 द्वारा यह मण्डल खेल और युवा कल्याण विभाग को हस्तांतरित होने से तथा मण्डल को और अधिक ठोस आधार प्रदान करने की दृष्टि से, राज्य शासन अब मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज खेल मण्डल का निम्नानुसार पुर्नःगठन करता है :—

1. **नाम.**—यह मण्डल "मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज खेल मण्डल" कहलायेगा.

2. **परिभाषाएं.**—(क) "मण्डल" से अभिप्रेत होगा, मध्यप्रदेश सिविल सार्विसेज खेल मण्डल.
   (ख) "शासन" से अभिप्रेत होगा, मध्यप्रदेश शासन.
   (ग) "राज्य" से अभिप्रेत होगा, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **मुख्यालय.**—मण्डल का अपना मुख्यालय भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल में होगा.

4. **मण्डल का गठन.**—"मण्डल का गठन निम्नानुसार किया जावेगा".—

1.	**अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव** मध्यप्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग	-	पदेन अध्यक्ष
2.	**उप सचिव/अवर सचिव** मध्यप्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग	-	पदेन सचिव

5. निम्नलिखित विभागों के सचिव या उनके प्रतिनिधि — सदस्य

i. सामान्य प्रशासन

ii. वित्त

iii. उच्च शिक्षा

iv. स्कूल शिक्षा

v. पंचायत एवं ग्रामीण विकास

vi. वन

vii. संचालक, खेल और युवा कल्याण, संचालनालय

viii. पुलिस महानिरीक्षक (मध्य क्षेत्र) मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल लाल परेड ग्राउंड, भोपाल.

ix. राज्य शासन द्वारा नामांकित पांच नाम निर्दिष्ट सदस्य, जो या तो प्रख्यात खिलाड़ी हो या खेलकूद में रूचि रखते हो. — सदस्य

x. राज्य शासन द्वारा ऐसी टीम का मैनेजर, कप्तान जिसने गत वर्ष आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो, जो भोपाल में पदस्थ हो. — सदस्य

6. **मण्डल की सदस्यता अवधि.**—मण्डल के अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्य ऐसी अवधि के लिये अपना पद धारण करेंगे, जो राज्य शासन द्वारा नियत की जाए.

7. **लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्य.**—मण्डल के निम्नलिखित लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्य होंगे.—

(क) सम्पूर्ण राज्य में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों की क्रीड़ा-गतिविधियों को प्रोत्साहित, विकसित तथा नियंत्रित करना.

(ख) शासकीय कर्मचारियों में खिलाड़ी भावना को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें क्रीड़ा क्षेत्र में भाग लेने का अवसर प्रदान करना.

(ग) राज्य स्तरीय तथा अखिल भारतीय टुर्नामेंट, खेलकूद प्रतियोगितायें, प्रदर्शन मैच तथा परीक्षण स्पर्धायें प्रारंभ तथा आयोजित करना.

(घ) समय-समय पर मण्डल द्वारा निश्चित किये अनुसार विभिन्न अखिल भारतीय टूर्नामेंन्टों तथा खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये राज्य की टीमों को प्रवेश दिलाना.

(ङ) राज्य की टीमों में शौकिया खेलकूद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना तथा उसे निरापद करना.

(च) मण्डल द्वारा नियंत्रित क्रीड़ाओं तथा खेलकूद के क्षेत्र में नवीन प्रतिभा की खोज करना और उन्हें प्रोत्साहित करना.

(छ) शासकीय कर्मचारियों के खेलकूद के स्तर को सुधारने के लिये प्रशिक्षण कक्षायें/शिविर आयोजित करना.

(ज) क्रीड़ा मैदानों के सुधार तथा निर्माण में सहायता करना.

(झ) मंडल द्वारा नियंत्रित क्रीड़ाओं तथा खेलकूद के विकास के लिये राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय क्रीड़ा संघों तथा अन्य अनुमोदित संस्थाओं तथा संघों को संबद्ध करना तथा उनसे संबद्ध रहना.

(य) अभ्यास, आयोजन तथा किट और उपकरणों की खरीदी के लिये समितियों/क्लबों को समतुल्य अंशदान देना.

(र) साहसिक खेलों का आयोजन करना.

8. **समितियां.**—मण्डल खेलों के आयोजन, नियंत्रण और संचालन के संबंध में जैसे और जब आवश्यक हो, प्रशासनिक और तकनीकी सलाह के लिये समितियां गठित करेगा.

9. **मण्डल की निधियां.**—मण्डल की निधियों में राज्य शासन से प्राप्त सभी अनुदान तथा अन्य किसी भी स्त्रोत से अनुदान, फीस अथवा अन्य खर्चों के रूप में प्राप्त सभी रकमें शामिल होगी.

10. **लेखा परीक्षा.**—मण्डल के लेखाओं की लेखा परीक्षण चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा संचालनालय, स्थानीय निधि लेखा, मध्यप्रदेश द्वारा किया जावेगा.

11. **मण्डल की शक्तियां.**—मण्डल एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा तथा टीमों अथवा खिलाड़ियों के चयन अथवा किन्हीं भी प्रतियोगिताओं में भाग लेने या उन्हें आयोजित करने से संबंधित सभी मामलों में साधारण बहुमत द्वारा निर्णय ले सकेगा. मण्डल को किसी भी विशिष्ट प्रयोजन के लिये राज्य शासन से प्राप्त आवंटन सीमा में व्यय करने की शक्ति प्राप्त होगी.

12. **शक्तियों का प्रत्यायोजन.**—मण्डल अपने अध्यक्ष, सचिव अथवा उसके किसी भी सदस्य को ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो वह विहित करें, अपनी वित्तीय तथा कार्यपालक दोनों ही प्रकार की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा.

13. **नियम बनाने की शक्तियां.**—पूर्ववर्ती किन्हीं भी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मण्डल को अपने उद्देश्यों और कार्यों की पूर्ति के लिये नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होगी.

14. **विधान में संशोधन.**—राज्य शासन मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज खेल मण्डल के विधान में आवश्यक होने पर स्वप्रेरणा से संशोधन कर सकेगा मण्डल अपने दो-तिहाई सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद ही विधान में कोई संशोधन, प्रस्तावित कर सकेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जी. गिल्लौरे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.